Three floppies and 3 diaries have been seized from the residence of another one of the officers.

**सांसदों और विधायकों के साथ कार्य-व्यवहार करने संबंधी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में संशोधन**

4344. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सांसदों और विधायकों के साथ कार्य-व्यवहार करने के संबंध में सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन संशोधनों को अन्तिम रूप देने से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचार जानना चाहेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रमणियन):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की छंटनी/अनिवार्य सेवानिवृत्ति**

4345. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छंटनी कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है;

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितताओं में लिप्त और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन पाया गया है; और

(घ) इन अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रमणियन):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है और साथ ही जो अक्षम हो चुके है, उनकी छंटनी करने के उद्देश्य से संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उनके सेवा रिकार्डों की पुनरीक्षा इस विचार से की जाती है कि क्या उन्हें समय-पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए अथवा निर्धारित आयु (50/55 वर्ष) प्राप्त करने या 30 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा में रखा जाए। यह एक नियमित तथा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति भी सेवा-नियमों के अंतर्गत निर्धारित, एक भारी शास्ति है तथा यह कदाचार सिद्ध हो जाने वालों मामलों में लगाई जाती है।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

**अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा जिन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया**

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | सेवा का नाम | अभियोग | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ए० एन० बताबयाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र) | भारतीय प्रशासनिक सेवा | बम्बई में ऊंची कीमत वाले प्लाट को बेचना | 24.2.1994 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति |

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | सेवा का नाम | अभियोग | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | ए० वति ए०ओ०, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार) | भारतीय प्रशासनिक सेवा | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120— बी० के अंतर्गत गैर अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश, इम्फाल द्वारा दोषी पाए जाने पर। | 9.8.1994 से नौकरी से बर्खास्तगी |
| 3. | बिक्रमजीत सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पंजाब) | भारतीय प्रशासनिक सेवा | (i) लकड़ी के क्रेटों की आपूर्ति के आदेश देने में मनमाने ढंग से कार्य किया (ii) वरिष्ठ प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र के पद पर कार्य करते हुए 89, 914/- रुपये की राशि की अनियमित भुगतान की मंजूरी देना | (i) 31.8.1994 को परिनिंदा शास्ति अधिरोपित की गई। (ii) दिनांक 9.8.94 से संचयी प्रभाव के बिना 2 वर्ष के लिए वेतनवृद्धि को रोका गया। |
| 4. | आर० पी० वाघ | भारतीय प्रशासनिक सेवा | मनमाने ढंग से हथियारों के लाइसेंस जारी करना। | 28.2.96 को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति तथा मासिक पेंशन में 1/4 भाग की कटौती की शास्ति लगाई गई। |
| 5. | एस० के० नन्दा | भारतीय प्रशासनिक सेवा | बिना अनुमति लिए सालनियर के लिए अंशदान इकट्ठा करना | 1.7.96 को परिनिंदा शास्ति अधिरोपित की गई। |
| 6. | जी० सी० शर्मा (पंजाब 68) | भारतीय पुलिस सेवा | विभिन्न फर्मों तथा बैंकों से ऋण लेना तथा उसे वापिस न करना तथा ड्यूटी से अनधिकृत रूप से गैर-हाजिर रहना। | 13.10.94 को सेवा से हटा दिया गया। |
| 7. | एम० डी० जोशी, (पश्चिम बंगाल) | भारतीय पुलिस सेवा | नैतिक चरित्रहीनता | सेवा से हटा दिया गया। |
| 8. | सुश्री मधुपरना दास, (पश्चिम बंगाल) | भारतीय पुलिस सेवा | नैतिक चरित्रहीनता | सेवा से हटा दिया गया। |
| 9. | जगदीश चन्द्र (उत्तर प्रदेश) | भारतीय पुलिस सेवा | ड्यूटी से जान-बूझकर गैर-हाजिर रहना। | 7.4.94 से सेवा से हटा दिया गया। |
| 10. | एम० एम० भौंसेल (महाराष्ट्र) | भारतीय वन सेवा | अनधिकृत रूप से गैर-हाजिर रहना। | अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 16(3) के अंतर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्त। |